

183/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अथ इतिहासिक जज	अहमदाबाद की तारीख
12/12/26	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 अधिवक्ता अनुपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थनीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्टता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते हैं।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) जलोतरा

[Handwritten Signature]
12/12/26